बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचना

अधिसूचना सं0:- 650/807 / पटना, दिनांक :- 06/11/2026

संचिका सं0- R-504/56/2024-Section-14-RDD-RDD

श्री संजीव कुमार (अनुक्रमांक-302255), तत्कालीन रिवाईजिंग अथॉरिटी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, गोपालगंज सदर (गोपालगंज) सम्प्रति- प्रखंड विकास पदाधिकारी, लौरिया, पश्चिम चम्पारण के विरूद्ध नगरपालिका आम निर्वाचन, 2023 में नगर परिषद, गोपालगंज के वार्ड संख्या-11 की मतदाता सूची के निर्माण में त्रुटि के आरोप पर जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी, गोपालगंज के पत्रांक-111/स्था० दिनांक-11.12.2025 द्वारा आरोप पत्र उपलब्ध कराया गया ।

जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी, गोपालगंज द्वारा प्रतिवेदित आरोपों पर विभागीय ज्ञापांक-5389031 दिनांक-30.03.2026 द्वारा श्री संजीव कुमार से बचाव का लिखित अभिकथन/स्पष्टीकरण की माँग की गई । प्रखंड कार्यालय, लौरिया, पश्चिम चम्पारण के पत्रांक-439 दिनांक-25.07.2026 के माध्यम से श्री संजीव कुमार द्वारा बचाव का लिखित अभिकथन/स्पष्टीकरण समर्पित किया गया ।

जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी, गोपालगंज से प्राप्त आरोप पत्र एवं श्री कुमार के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा विभाग द्वारा की गई । समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री कुमार के पिताजी का देहांत 15.04.2023 को हो गया था, उनके श्राद्ध कर्म हेतु अवकाश पर रहने के कारण हुए विलंब के लिए श्री कुमार को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है । अतएव आरोपित पदाधिकारी का स्पष्टीकरण आरोप संख्या-01 के लिए स्वीकार्य है एवं आरोप संख्या-02 में श्री कुमार की लापरवाही, पर्यवेक्षणीय शिथिलता एवं कर्तव्य के प्रति निष्ठा की कमी को प्रदर्शित करता है ।

अतएव सम्यक विचारोपरांत मानवीय आधार (पिता के देहांत) को ध्यान में रखते हुए श्री संजीव कुमार (अनुक्रमांक-302255), तत्कालीन रिवाईजिंग अथॉरिटी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, गोपालगंज सदर (गोपालगंज) सम्प्रति- प्रखंड विकास पदाधिकारी, लौरिया, पश्चिम चम्पारण को चेतावनी के साथ दंड से मुक्त किया जाता है ।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

विभाकर 6/11/26

(विभाकर कुमार)

अवर सचिव

ज्ञापांक :- 650/807 / पटना, दिनांक :- 06/11/2026

संचिका सं0- R-504/56/2024-Section-14-RDD-RDD

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में, सी०डी० सहित) बिहार गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विभाकर 6/11/26

अवर सचिव

ज्ञापांक:- 650/807 / पटना, दिनांक :- 06/11/2026

संचिका सं0- R-504/56/2024-Section-14-RDD-RDD

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, गोपालगंज एवं पश्चिम चम्पारण/उप विकास आयुक्त, गोपालगंज एवं पश्चिम चम्पारण /कोषागार पदाधिकारी, गोपालगंज एवं पश्चिम चम्पारण /प्रभारी पदाधिकारी प्रशाखा-03, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/श्री संजीव कुमार (अनुक्रमांक-302255), तत्कालीन रिवाईजिंग अथॉरिटी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, गोपालगंज सदर (गोपालगंज) सम्प्रति- प्रखंड विकास पदाधिकारी, लौरिया, पश्चिम चम्पारण/आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग (विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्श हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/11/26
अवर सचिव

ज्ञापांक:- 650/807 / पटना, दिनांक :- 06/11/2026

संचिका सं0- R-504/56/2024-Section-14-RDD-RDD

प्रतिलिपि:- आप्त सचिव, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

6/11/26
अवर सचिव